हम भी हैं

संक्षिप्त रिपोर्ट

विवाहित किशोरियों की दुनिया बदलने की जरुरत

अध्ययन

जल्द एवं बाल विवाह हिंसा का एक रूप है, जो देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किशोर-किशोरियों को प्रभावित करता है। विकल्प संस्थान और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) द्वारा किया गया यह शोध अध्ययन विवाहित लड़कियों, बड़ी विवाहित महिलाओं और युवा पुरुषों के बीच जल्द एवं बाल विवाह के अनुभवों और धारणाओं की पड़ताल करता है। यह अध्ययन उत्तर भारत में राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के मावली ब्लॉक के 10 गांवों में किया गया।

अध्ययन में भाग लेने वालों में दो आयु वर्गों में 218 विवाहित लड़कियां और युवतियां थीं-

(1) वे जो अध्ययन के समय 18 वर्ष से छोटी थीं और

(2) जो अध्ययन के समय 19-24 वर्ष की थीं, लेकिन उनकी शादी 18 वर्ष की आयु से पहले कर दी गई थी।

इसके अलावा, 200 बड़ी महिलाएं (मुख्यत: सास) जो बाल वधुएं थीं, का भी एक ही घर में साक्षात्कार किया गया ताकि युवा दुल्हनों के जल्दी शादी के अनुभवों को आकार देने में बड़ी महिलाओं की भूमिका और जल्द एवं बाल विवाह की बदलती प्रकृति दोनों को समझा जा सके।

साथ ही, उसी क्षेत्र के 50 युवकों, जिनका जल्द या बाल विवाह हुआ था, का एक चयनित नमूना लेकर भी एक प्रश्नावली का उपयोग करके साक्षात्कार किया गया था ताकि जल्द एवं बालविवाह की घटना में युवा पुरुषों की भूमिका और अनुभव को समझ सकें।

साक्षात्कार

रेणुका की कहानी युवा विवाहित लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती है।

साक्षात्कार के समय रेणुका की उम्र 17 वर्ष थी। जब वह 14 साल की थी, तब उसकी चार बहनों के साथ उसकी शादी हो गई थी। जब वह बातचीत कर रही थी, तो वह अपने पति के कमरे में घुस गई।

रेणुका अपनी दसवीं की परीक्षा में दो विषयों में फेल हो गई थी। स्कूल में फेल होने से उसकी शादी जल्दी हो गई थी। ओगनाखेड़ा गांव में अपने वैवाहिक घर में जाने के बाद, रेणुका का जीवन बदल गया। उसे एक साड़ी पहननी पड़ती थी, हालाँकि वह खुद नहीं पहन सकती थी। उसने कहा कि वह अब अपनी साइकिल नहीं चला सकती हैं, उसने समझाते हुए कहा, ''वो यहां नहीं चलाने देंगे।''

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके पति उनके साथ अच्छे थे, तो उसने बताया कि वो कभी-कभी गुस्सा करते हैं। उसकी सास, चाहती थी कि वह हर समय कुछ न कुछ करती रहे। रेणुका ने कहा कि वह बच्चे पैदा करने की इच्छुक नहीं थी, लेकिन इस बात से वाकिफ थी कि इस फैसले पर उसका ज्यादा नियंत्रण नहीं है।

रेणुका ने कहा कि उनके पिता का सपना उसको कुछ बनाना था। फिर भी, वे ही थे जिसने उसकी शादी की व्यवस्था की। उन्होंने अपनी बेटियों को बताया था कि सामुहिक विवाह ही एकमात्र तरीका है जिससे वह उन चारों की शादी कर सकते हैं। रेणुका उनके खिलाफ नहीं जा सकती थी, और यदि वो ऐसा करती तो भी उसकी बात कोई नहीं सुनता।

जल्द एवं बाल विवाह के कारक और परिणाम

जाति और गरीबी

निम्न जातियों और आदिवासी सूमह का सामाजिक बहिष्कार काफी स्पष्ट था। इन समुदायों के अधिकांश परिवार लगभग गांव की सीमा पर रहते हैं और वे भूमि, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार तक पहुंच से संबंधित अभाव और भेदभाव का अनुभव करते हैं। आधे से अधिक युवा वधुओं के परिवार दलित और आदिवासी समुदाय से थे और 33 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से थे। राशन कार्ड के आधार पर, युवा वधुओं वाले लगभग आधे घर गरीबी रेखा से नीचे की आयवर्ग से थे। शादी की औसत आयु आदिवासी लड़कियों में सबसे कम पाई गई।

सामूहिक विवाह और खर्चा

खर्च कम करने के लिए, कई परिवारों ने एक ही समारोह में एक से अधिक लड़कियों की शादी की। अध्ययन में उन मामलों के एक खास उल्लेख किया जिसमें एक ही समारोह में एक ही दिन में कई लड़कियों की शादी हुई थी। लगभग 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका विवाह एक सामान्य समारोह में अन्य भाई-बहनों के साथ हुआ था। अपने भाई-बहनों के साथ सामान्य समारोहों में शादी करने वाली युवा दुल्हनों का अनुपात अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों में सबसे बड़ा था। कम उम्र के बच्चों की शादी जल्दी क्यों की इसके जवाब में कई उत्तरदाताओं ने दो कारण बताये विवाह के बढ़ते खर्च और परिवार में कई लड़कियां।

अवैतनिक घरेलू श्रम

युवा पुरुष काम के लिए आस-पास के क्षेत्रों में जाते हैं। इसलिए, घर पर महिलाओं के श्रम की मांग इस सामाजिक-आर्थिक वास्तविकता से निकलती है, जहां सभी प्रकार के घरेलू श्रम में उनकी आवश्यकता होती है, जिसमें पशुधन की देखभाल करना और भूमिहीन मजदूरों के रूप में काम करना शामिल है। जल्दी शादी करने से लड़कियों को काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और काम के भारी बोझ पर सवाल उठाने के लिए उनकी एजेंसी पर अंकुश लगाया जाता है। अध्ययन में इन युवा लड़कियों द्वारा अनुभव किए गए काम के बोझ पर प्रकाश डाला गया है।

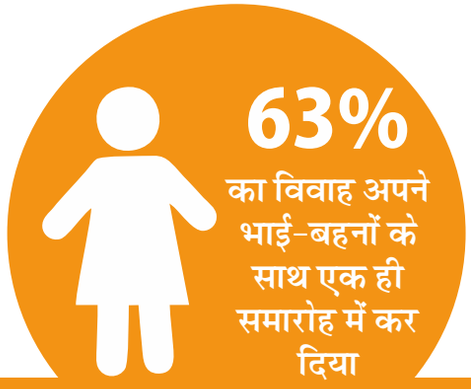

परिवार का सम्मान और इज्जत

युवा लड़कियों का जल्द एवं बाल विवाह उनके परिवार और जाति-आधारित रिश्तेदारी के ''मान-सम्मान'' को बनाए रखता है। यह लड़कियों के परिवार पर लड़कियों की 'यौन शुद्धता' बनाए रखने का दबाव खत्म करता है। साथ ही औरतों के शरीर, यौनिकता और श्रम पर हिंसक नियंत्रण एवं मर्दाना सत्ता को भी बनाए रखने में सहायक होता है। असल में जल्द एवं बाल विवाह लड़कियों को सिरे से नियंत्रित करने, जानकारी से वंचित रखने एवं अपने जीवन पर किसी भी तरह के नियंत्रण से वंचित रखने का सबसे प्रभावकारी हथियार है।

हर दिन जबरदस्ती और हिंसा

जबर्दस्ती एवं हिंसा के जरिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि युवतियाँ अपनी हर भूमिका को बिना सवाल किए निभाएगीं। अगर कभी लड़कियों या नव-विवाहितों ने अपनी एजेंसी दिखाने की कोशिश की तो उन्हें अपने परिवार की बेरुखी का सामना करना पड़ा। कई बार औरतों और परिवारों ने युवतियों और लड़कियों पर हुई हिंसा एवं अपराधों को सही बताया क्योंकि लड़कियों ने समुदाय निर्धारित कायदों को ताड़ने की कोशिश की थी जो

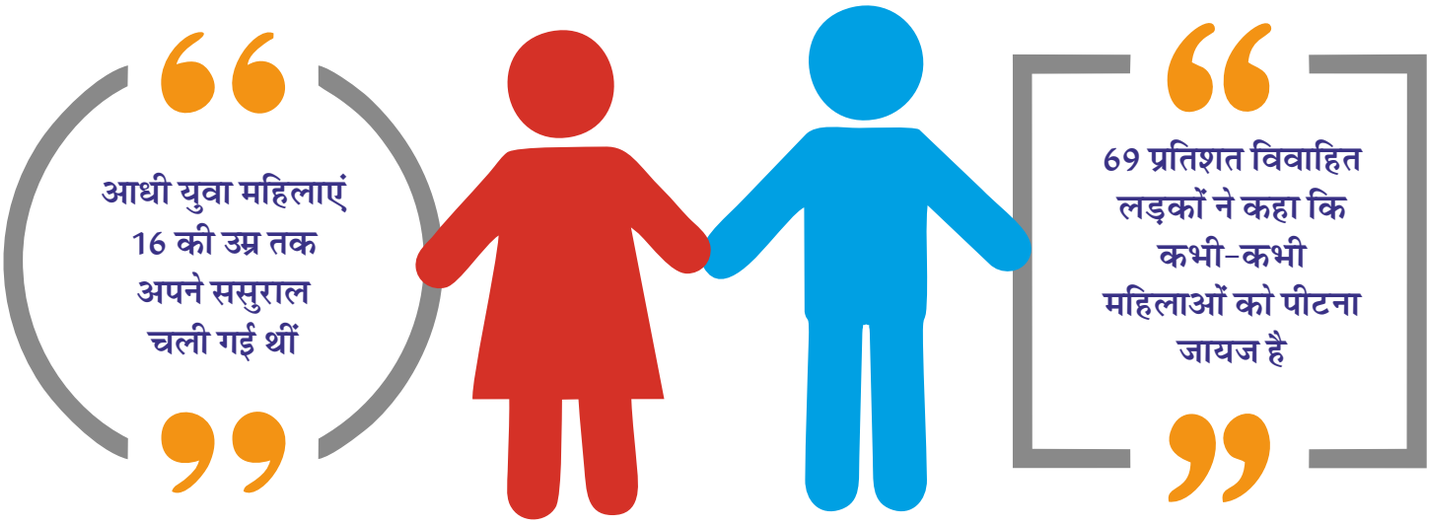

कि किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं। विवाहित युवतियों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवन चक्र था उनका जल्द यौन सबंधों में जाना, जल्द गर्भाधान और कम उम्र में माँ बनने की बंदिश। लगभग 40 प्रतिशत जल्द विवाह वाली युवतियों ने बताया कि उनके विवाह तय होने के और ससुराल आने के बीच में ज्यादा अंतर नहीं था जबकि 36 प्रतिशत ने बताया कि विवाह और ससुराल आने में लगभग एक से तीन साल का अंतर था लेकिन फिर भी वे सब 18 साल से पहले ससुराल आ गई थीं। शादी तय हाने के और ससुराल आने के बीच का अंतराल वैसे भी लड़कियों को जल्द यौन संबंधों एवं हिंसा से सुरक्षा नहीं देता।

भय और चिंता में जीना

लड़कियाँ और शादीशुदा युवतियाँ अध्ययनकर्ताओं से भी खुलकर बात नहीं कर पा रही थीं क्योंकि उनकी सभी बातचीत और क्रियाकलाप लगातार बारीकी से देखें जा रहे थे। फिर भी काफी बातचीत के बाद युवतियों ने शादी से जुड़े अपने डरों और चिंताओं की बात की। उनके अनुसार शादी के बाद एक अजनबी घर में आना, अजनबियों के साथ रहना, घर के काम ठीक से कर पाने पर मिलने वाली डांट या सजा, सास का खौफ, पिता अथवा भाई की मृत्यु उनकी ज़िंदगी के सबसे बड़े डर हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़ी उम्र की महिलाओं (सास) ने कहा कि उन्हें अपनी लड़कियों की चिंता सताती है कि ससुराल में उन पर हिंसा न हो जाए या उन्हें पति छोड़ न दें। इस तरह के विचार महिलाओं की घरेलू अर्थव्यवस्था में भूमिका और उनके आपसी संबंधों की एक झलक देता है जबकि महिलाएं व्यक्तिगत तौर पर क्या चाहती हैं यह स्पष्ट नहीं होता।

जल्द यौन संबंध और बच्चे

ज्यादातर मामलों में लड़कियों ने बताया कि वे यौनिक संबंधों में कोई भी निणर्य लेने अथवा कब और कितने बच्चे होंगे यह तय करने में असमर्थ थीं और यह सब इतनी जल्दी होता गया कि उन्हें कभी समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा था। साथ ही अचानक इतना कुछ उनकी ज़िदगी में घटता चला जा रहा था कि वे उससे पूरी तरह से अभिभूत हो गई थीं। आमतौर पर जिसे कानूनी तौर पर बलात्कार कहा जा सकता है वह शादी की आड़ में एक आम बात है। महावारी, गर्भ निरोधक और यौनिक संबधों एवं स्वास्थ्य को लेकर जो शर्म, राजदारी और पाबंदिया हैं उनके चलते अधिकतर लड़कियाँ शादी में बिना किसी पूर्व जानकारी एवं समझ के ही जाती हैं।

शिक्षा का अभाव और बचपन का जल्द अंत

जल्द विवाह निश्चित तौर पर लड़कियों के द्वारा अपनी आज़ादी छिन जाने और बंधन में आने के रूप में देखा गया। आधे से ज़्यादा लड़कियां 16 साल पूरे होने से पहले ही अपनी ससुराल आ गई थीं। शादी की वजह से स्कूल छोड़ने को लड़कियों ने एक मुख्य चिंता के रूप में व्यक्त किया। अधिकतर विवाहित युवतियों ने कहा कि अगर मौका मिले तो वे फिर से स्कूल जाना चाहेगी जहां उन्हें तरह-तरह की जानकारियाँ, दोस्त और अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिलता है। आधे से ज़्यादा युवतियों ने कहा कि वे स्कूल को और स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ खेलने को अभी बहुत याद करती हैं। लेकिन हिंसा और डर और विकल्पों की कमी के कारण वे अपने मन की बात ससुराल वालों से नहीं कहतीं।

मर्दानगी

विवाहित युवकों के बीच मर्दानगी का हिंसक विचार और उससे मिलने वाली सत्ता अध्ययन में स्पष्ट निकलकर आई। साथ ही अधिकतर युवाओं ने परपंरागत मर्दानगी की भूमिकाओं को अपने ऊपर लागू करते हुए परिवार के भरणपोषण को अपनी जिम्मेदारी बताया और उससे जुड़ी चिंता को भी व्यक्त किया। परंतु साथ ही उन्होंने काफी जेंडर आधारित गैर-बराबरियों को सही ठहराते हुए औरतों पर होने वाली हिंसा को भी जायज ठहराया। उनका यह भी मानना था कि आदमी होने के नाते उनके पास यह ''अधिकार'' है कि वे अपनी यौनिक इच्छाओं को व्यक्त एवं पूरा करें और अगर चाहें तो एक साथ कई रिश्ते भी बना सकते हैं।

सिफारिशें

मावली ब्लॉक के गांवों में समुदाय की पहचान, जेण्डर आधारित गैरबराबरी, जेण्डर आधारित भेदभाव और किशोर लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मामले में अन्य जातियां और दलित और सामाजिक बहिष्कार के बीच जो गहरा और उलझा हुआ संबंध है, अध्ययन में उस पर प्रकाश डाला गया। अध्ययन की मुख्य सिफारिशें निम्न हैं:

- किशोर लड़कियों और लड़कों के बीच जल्द एवं बाल विवाह के अनुभव की विविधता को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा समुदाय, प्रभुत्व या बहिष्कार के मुद्दों और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच या पहुंच के अभाव के आधार पर कार्य रणनीति बनाने की आवश्यकता है।
- कार्यनीति को उन किशोर लड़कियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जो पहले से शादीशुदा हैं और अपने ससुराल में रह रही हैं वो सबसे कमजोर हैं, और जो किशोर लड़कियां शादीशुदा हैं लेकिन अपने माता-पिता के घर में रहती हैं तथा जिन लड़कियों की शादी होने की सम्भावना है।
- युवा लड़कों के साथ कार्य का केन्द्र मर्दानगी के संदर्भ में सत्ता, हिंसा और जेंडर आधारित गैरबराबरियों से जुड़े विचारों को चुनौती देने; और जेण्डर समानता से जुड़ी प्रथाओं और व्यवहारों का ज्ञान बढ़ाने और आत्ममंथन के अवसर बढ़ाने पर होना चाहिये।
- परिवारों, समुदायों और राज्य संस्थानों के साथ विभिन्न रणनीतियों के जरिये निरंतर गहरे और लम्बे जुड़ाव के द्वारा ही बदलाव सम्भव है, जिसमें जल्द एवं बाल विवाह की रोकथाम पर वकालत, आउटरीच और जागरूकता से संबंधित कार्य किया जाय।

© Vikalp Sansthan - 2019

रिसर्च रिपोर्ट लेखक- डॉ शेवली कुमार और डॉ सोहिनी सेनगुप्ता
अनुवाद- रचना द्विवेदी
डिजाइन- योगेश वैष्णव
फोटो- जोनाथन टोर्गोवनिक, रोहित जैन और अजीत चौधरी

अधिक प्रतियों के लिए-
विकल्प संस्थान,
80, विनायक नगर, रामगिरी, बड़गांव, उदयपुर-313011, राजस्थान
ईमेल <vikalporg@gmail.com>

www.vikalpindia.org